वन मित्र

[गैर-वन भूमि पर समुदाय द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियाणा सरकार की योजना]

कार्यकारी सारांश

वन मित्र योजना गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए हरित आवरण की महत्वपूर्ण भूमिका और हरियाणा में वन क्षेत्रों में कमी को पहचानते हुए, इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वृक्ष आवरण बढ़ाने में स्थानीय समुदायों को सीधे शामिल करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 स्थानीय स्वयंसेवकों के समर्थन का लाभ उठाकर, इस योजना में पर्यावरण संरक्षकता की संस्कृति और वृक्षारोपण और देखभाल के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

परिचय

पर्यावरणीय स्थिरता, भूमि पर हरित आवरण की सीमा पर निर्भर करती है। हरियाणा जैसे कम वन वाले राज्यों में, नागरिकों के लिए पारिस्थितिक संतुलन और परिवेशी पर्यावरण की बहाली के लिए निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आच्छादन बढ़ाने की आवश्यकता है। वन मित्र योजना सामुदायिक संसाधनों को जुटाने और वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की देखभाल के लिए उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है।

योजना का अवलोकन

उद्देश्यः वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर में वृद्धि सुनिश्चित करना और एक स्वस्थ रहने वाले वातावरण के लिए गैर-वन भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ाना।

परिचालन प्रक्रिया

1. **जन जागरूकताः** इस योजना का प्रिंट और विजुअल मीडिया और वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

2. **पात्र परिवारों की पहचानः** ₹ 1.8 लाख से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों/व्यक्तियों की पहचान नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आंकड़ों से की जाएगी और योजना में भाग लेने के लिए पात्रता की सूचना परिवारों को विभिन्न माध्यम द्वारा दी जाएगी। इस संदेश के माध्यम से हितधारकों को

योजना की वन मित्र पोर्टल/मोबाइल ऐप पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा।

3. पंजीकरणः पात्र परिवार वन मित्र मोबाइल ऐप पर परिवार के एक योग्य सदस्य (आयु 18 से 60 वर्ष के बीच) का पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के समय परिवार सदस्य द्वारा लगाये जाने वाले पौधों की संख्या दर्ज की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 1000 होगी। पंजीकृत आवेदकों में, कम पारिवारिक आय एवं आयु में कम आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. **भूमि की पहचानः** वन मित्र वृक्षारोपण के लिए भूमि की व्यवस्था करेंगे।

5. **प्रशिक्षणः** वन मित्रों को वृक्षारोपण तकनीकों और सुरक्षा उपायों पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें वन मित्र मोबाइल ऐप पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

कार्यान्वयन समयरेखा और गतिविधियाँ

प्रथम वर्ष

- **फरवरी/मार्चः** पंजीकरण, चयन और प्रशिक्षण।
- **10 जून तकः** वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदने का काम पूरा।
- **1 जुलाई से 15 अगस्तः** रोपण अवधि।
- **31 अगस्त तकः** वृक्षारोपण सत्यापन और जियो-टैगिंग का पूरा होना।
- सितंबर से अप्रैलः वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण।
-

दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ष

- वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण।

मानदेय

पहला वर्ष

- **जून का अंतिम सप्ताहः** जियो-टैगिंग और मोबाइल ऐप पर वन मित्र द्वारा गड्ढों का फोटो-ग्राफ अपलोड करने पर 20 रुपये प्रति गड्ढा।
- **जुलाई और अगस्त के अंतिम सप्ताहः** वन मित्र द्वारा लगाए गए पौधे की जियो-टैगिंग के बाद 30 रुपये प्रति पौधा ।
- **सितंबर से महीनों का अंतिम सप्ताहः** रोपण के रखरखाव और संरक्षण के लिए 10 रुपये प्रति जीवित पौधा।

द्वितीय वर्ष

- हर महीने के अंतिम सप्ताह में 8 रुपये प्रति जीवित पौधा ।

तीसरा वर्ष

- 5 रु प्रति जीवित पौधा हर महीने के अंतिम सप्ताह में।

चौथा वर्ष

- 3 रु प्रति जीवित पौधा हर महीने के अंतिम सप्ताह में।

प्रौद्योगिकी एकीकरण

वन मित्र ऐपः

- पंजीकरण, जियो-टैगिंग और वृक्षारोपण के अस्तित्व के मूल्यांकन के लिए।
- वन मित्रों को मानदेय का भुगतान सरकार की प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ (डीबीटी) नीति का पालन करते हुए सीधे उनके खातों में किया जाएगा।

योजना के बुनियादी कार्यान्वयन दिशा-निर्देश

- योजना के तहत लगाए जाने वाले पौधे सफ़ेदा और पॉपलर जैसी छोटी रोटेशन प्रजातियां नहीं होंगी, जिन्हें कृषि-वानिकी के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा, केवल पेड़ों की प्रजातियों के पौधों को ही लगाया जाएगा।
- पौधे से पौधे की न्यूनतम दूरी आठ मीटर होगी।
- वन मित्र अपने निवास के गाँव, शहर या शहर में कहीं भी वृक्षारोपण के लिए गैर-वन भूमि का चयन करेंगे। यदि वन मित्र से संबंधित भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया जाता है, तो वह वृक्षारोपण के चार साल पूरे होने के बाद भूमि के मालिक को पौधे सौंप देगा और फिर मालिक अपनी संपत्ति के रूप में देखभाल करेगा। 25 रुपये प्रति पौधे का मानदेय वन मित्र को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। यदि लगाया गया वृक्ष स्वयं वन मित्र की भूमि पर है, तो उसे वृक्ष का स्वामी माना जाएगा और आगे के प्रोत्साहन उसे वृक्ष के स्वामी के रूप में स्वीकार्य होंगे। वन मित्र और भूमि के मालिक के बीच इस आशय के एक समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि मालिक कम से कम 10 वर्षों तक पेड़ नहीं काटेगा। यदि पेड़ का मालिक पेड़ को 75 वर्ष की आयु तक रखता है, तो सरकार मालिक/उसके उत्तराधिकारियों को वर्ष 2024 में 100 रुपये की मूल दर के बराबर मानदेय देने बारे विचार कर सकती है। साथ ही, ऐसे पेड़ों को प्राण वायु देवता की राज्य सरकार की योजना के तहत मान्यता दी जाएगी और संरक्षकों को वृक्ष की देखभाल के लिए प्राण वायु देवता की योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा।

वन मित्र की भूमिका और उत्तरदायित्व

- रोपण के लिए आवश्यक भूमि की पहचान और व्यवस्था करना। यदि वृक्षारोपण के लिए पहचानी गई भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है, तो वह मालिक से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करेगा।
- वृक्षारोपण के लिए आवश्यक गड्ढे खोदना और गड्ढे में वृक्षारोपण करना और मानक संचालन प्रक्रियाओं में निहित विनिर्देशों के अनुसार उनकी देखभाल करना। (SOPs).
- वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना ।

वन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व

- वन मित्र को रोपण के लिए स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराना।
- वन मित्र को वृक्षारोपण की तकनीकों और इसके रखरखाव/संरक्षण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की तैयारी जैसे खरपतवार-कटाई, सिंचाई, ठंड से पौधों की सुरक्षा के उपाय आदि पर बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वन रक्षक, वन दरोग़ा और रेंज अधिकारी वन मित्रों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के संबंध में जब-जब आवश्यकता होगी, सलाह देंगे।
- वन मित्र द्वारा किए गए वृक्षारोपण के सफलता प्रतिशत के मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण।